UPBN010082012024

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–1, बदायूँ

उपस्थितः कु० रिंकू (एच०जे०एस०)

फौजदारी निगरानी संख्या–333/2024

गीता उर्फ रीता पत्नी सर्वेश कुमार पुत्री राजपाल सिंह निवासी रामपुर कला, थाना उघैती, जनपद बदायूँ

..... निगरानीकर्ता/परिवादिनी

बनाम

1– सर्वेश सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह तोमर
निवासी चंगासी थाना हजरतपुर, जनपद बदायूँ
2– वीरेन्द्र सिंह पुत्र साहब सिंह
3– पप्पू सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह
4– संतोष पुत्र वीरेन्द्र सिंह
5– छुट्टो पत्नी पप्पू सिंह
6– गिरीश सिंह पुत्र राज सिंह
7– अनीता पत्नी गिरीश सिंह
निवासीगण करनपुर थाना उघैती जनपद बदायूँ
8– यू०पी० सरकार

.....विपक्षीगण

निर्णय

01– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता/परिवादिनी की ओर से विद्वान अवर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय, बदायूँ द्वारा परिवाद संख्या 4159/09, गीता बनाम सर्वेश सिंह धारा 498ए भा०दं०सं० थाना उघैती, जिला बदायूँ में पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा परिवादिनी के साक्ष्य के अवसर को समाप्त कर दिया गया है।

02– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी के कथन इस प्रकार हैं कि वादिनी द्वारा इस आशय से वाद योजित किया था कि रिवीजनकर्ता के पति व उसके परिवार द्वारा घर से निकाला था जिसमें वह लगातार उपस्थित आ रही थी पर माननीय मजिस्ट्रेट ने विधि के विरूद्ध आदेश पारित किया। मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ वह लगातार आ रही थी पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया पर मजिस्ट्रेट महोदय ने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रार्थिनी पर 246 सी०आर०पी०सी० के तहत प्रार्थिनी बार बार साक्षी को लेकर आई पर साक्ष्य मा० मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं लिखा और विधि के विरूद्ध आदेश पारित किया। परिवादिनी पर साक्षी के आने के वाद भी माननीय न्यायालय में भीड व मजिस्ट्रेट महोदय के व्यस्त होने पर यह कहकर कि अग्रिम तारीख पर लिख दिया जायेगा इस पर मजिस्ट्रेट महोदय ने 500/–रूपया का अर्थदण्ड दिया व प्रार्थिनी द्वारा अदा किया

गया परिवादिनी अग्रिम तिथि पर साक्षी को लेकर आई पर साक्ष्य अंकित नहीं किया गया। अग्रिम तिथि पर प्रार्थिनी पुनः साक्षी रामचन्द को लेकर आई न्यायालय में भीड व व्यस्त होने के कारण साक्ष्य अंकित नहीं किया गया तथा विधि के विरूद्ध आदेश पारित किया। प्रार्थिनी अपने साक्षी को 12–07–2024 को लेकर आई थी यह कह कर कि दिनांक 25.10.2024 के अनुपालन में दिनांक 19.07.2024 को लेकर आना भीड अधिक है व्यान नहीं हो पायेगा। दिनांक 25.10.2024 के अनुपालन में दिनांक 19.07.2024 को परिवादिनी द्वारा स्थगन प्रस्तुत किया गया कि साक्षी बीमार था पर मजिस्ट्रेट महोदय ने उस प्रार्थना पत्र पर उचित आदेश नहीं किया व विधि के विरूद्ध आदेश पारित किया। मजिस्ट्रेट महोदय ने 246 का साक्ष्य संकलित करने में लापरवाही वरती व प्रार्थिनी की उपेक्षा की व विधि के विरूद्ध आदेश पारित किया। उक्त आधारों पर प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

03– निगरानी के साथ निगरानीकर्ता की ओर से स्वयं का शपथ पत्र, विद्वान अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 19.07.2024 की सत्यप्रति प्रस्तुत की गयी है।

04– उभयपक्षों को सुना तथा इस पत्रावली तथा अवर न्यायालय की तलबीदा पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

05– प्रस्तुत विचारण में जो कि सन 2009 से चल रहा है, पत्रावली धारा 246 दं०प्र०सं० के साक्ष्य हेतु नियत चल रही थी जिसमें परिवादिनी का बयान अंकित हुआ है तथा दिनांक 07.02.2024 को धारा 246 दं०प्र०सं० का साक्ष्य का अवसर परिवादिनी की अनुपस्थिति में समाप्त कर दिया गया है और पत्रावली धारा 313 दं०प्र०सं० में नियत की गयी। इससे पूर्व दिनांक 05.02.2024 को भी परिवादिनी को अन्तिम अवसर प्रदान किया था। दिनांक 08.02.2024 को धारा 313 दं०प्र०सं० का बयान अंकित किया गया। पत्रावली बहस में नियत हुई, तत्पश्चात परिवादिनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.05.2024 को साक्ष्य का अवसर प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 23.05.2024 को 500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुये परिवादिनी को धारा 246 दं०प्र०सं० के तहत साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया, उसके पश्चात दिनांक 06.06.2024 को परिवादिनी उपस्थित रही, तब उसे अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 28.06.2024 और दिनांक 05.07.2024 को परिवादिनी व साक्षी उपस्थित थे, किन्तु जिरह हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली में जिरह हेतु तिथि नियत की गयी। दिनांक 12.07.2024 को परिवादिनी व अभियुक्त दोनों उपस्थित थे, पुनः तिथि जिरह हेतु नियत हो गयी। दिनांक 19.07.2024 को परिवादिनी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया और तब

उसका स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुये उसका साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया है। जबकि दिनांक 23.05.2024 को परिवादिनी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया था, उसके पश्चात परिवादिनी का साक्षी दो तिथियों पर उपस्थित रहा, किन्तु अभियुक्तगण की ओर से जिरह हेतु कोई उपस्थित नहीं आया, तब भी अभियुक्तगण का जिरह का अवसर समाप्त नहीं हुआ, वरन एक स्थगन देने पर ही परिवादिनी का साक्ष्य का अवसर समाप्त हो गया। एक अवसर परिवादिनी को दिया जाना आवश्यक है, ताकि उसका सम्पूर्ण साक्ष्य अंकित हो सके और अवर न्यायालय द्वारा इतनी जल्दी में परिवादिनी का साक्ष्य का अवसर समाप्त कर सही आदेश पारित नहीं किया गया है। किन्तु मुकदमा प्राचीन होने के कारण केवल परिवादिनी को अपना समस्त साक्ष्य धारा 246 दं०प्र०सं० में प्रस्तुत करने के लिए दो ही अवसर दिये जाते हैं और अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह इन दोनों ही अवसरों पर जिरह करना सुनिश्चित करें। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त होने योग्य है और निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

फौजदारी निगरानी सं०– 333/2024, गीता उर्फ रीता बनाम सर्वेश सिंह आदि स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय, बदायूँ द्वारा परिवाद संख्या 4159/09, गीता बनाम सर्वेश सिंह आदि धारा 498ए भा०दं०सं० थाना उघैती, जिला बदायूँ में पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 अपास्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय में पारित निर्देशों के आलोक में पुनः आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

इस निर्णय की एक प्रति अविलम्ब अवर न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार अग्रिम कार्यवाही हेतु अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.04.2026 को उपस्थित हों।

तलबीदा मूल पत्रावली अविलंब नियमानुसार वापस हो।

प्रस्तुत पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः 23.03.2026

(कु० रिंकू)
J.O. Code UP- 6101
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०– 1, बदायूँ

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 23.03.2026

(कु० रिंकू)
J.O. Code UP- 6101
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०- 1, बदायूँ

Digitally signed by Rinku Jindal
Date: 2026.03.23 16:29:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court